संख्या–262/XXX(2)/2017

सेवा में,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषक,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव
   उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल
   उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 8 मई, 2017

विषय– लोक सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2010 द्वारा अनुशासन अपील नियमावली, 2003 के नियम–7 जिसमें दीर्घ शास्तियां आधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, में संशोधन करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है जिसके द्वारा अनुशासन अपील नियमावली के नियम–7 के प्रस्तर–2,4,5 तथा 8 को निम्नवत् प्राविधानित किया गया हैः–

7(2)– अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा जिसे आरोप–पत्र कहा जायेगा। आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

7(4)– आरोप पत्र उसमें उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूची और उनके कथन, यदि कोई हों, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या रिजस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील की जायेगी, उपर्युक्त रीति से आरोप–पत्र तामील न कराये जा सकने की दशा में आरोप–पत्र को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जायेगा।

क्रमशः.....2

7(5)– आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट दिनांक को जो आरोप पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करे जिसमें वह स्पष्ट रूप से सूचित करे कि वह आरोप पत्र में उल्लिखित सभी या किन्हीं आरोपों को स्वीकार करता है अथवा नहीं। आरोपित सरकारी सेवक से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा में लिखित तथा मौखिक साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्दिष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिये कुछ नहीं है और उसके विरूद्ध एक पक्षीय रूप से जांच कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।

7(8)– अनुशासनिक प्राधिकारी, उन आरोपों की, जो सरकारी सेवक ने स्वीकार नहीं किये हैं, जांच स्वयं कर सकेगा या यदि वह उचित समझें तो अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को इस प्रयोजन के लिये जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो कि यथा संभव आरोपति सरकारी सेवक के स्तर से कम से कम दो स्तर ऊपर का हो।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि आरोप पत्र निर्गत करते समय तथा जांच अधिकारी नियुक्त करते समय उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कभी–कभी यह भी देखने में आता है कि आरोप पत्र की तामीली उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित नहीं की जा रही है और आरोप पत्र निर्गत करने के साथ ही जांच अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता है इसके अतिरिक्त आरोप पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी न करके स्वयं ही जांच अधिकारी द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं, जो कि अनुशासन अपील (संशोधित) नियमावली, 2010 में की गयी उपर्युक्त व्यवस्था के प्रतिकूल है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे लोक सेवकों के विरूद्ध गम्भीर कदाचार होने के बाद भी अनुशासनिक कार्यवाही नियमान्तर्गत न होने के कारण निरस्त की जाती है।

3– अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रत्येक लोक सेवक के विरूद्ध कदाचार के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय अनुशासन अपील नियमावली के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे। अनुशासन अपील नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध कदाचार के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिये जाने के पश्चात् निम्नानुसार कार्यवाही की जायेः–

(1)– सर्वप्रथम केवल आरोप पत्र निर्गत किया जायेगा। आरोप पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किये जायेंगे जहां नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हों, वहां पर आरोप पत्र शासन के प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत किये जायेंगे। जांच अधिकारी के हस्ताक्षर से या जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.....3

(2)— आरोप पत्र के साथ अभिलेखीय साक्ष्यों की प्रतियां भी संलग्न करके संबंधित लोक सेवक को प्रेषित की जायेंगी और आरोप पत्र व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से लोक सेवक के पते पर प्रेषित किया जायेगा और उपर्युक्त रीति से आरोप पत्र तामील न होने पर आरोप पत्र व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जायेगा।

(3)— आरोप पत्र के अन्त में यह स्पष्ट उल्लिखित किया जायेगा कि आरोपी 15 दिन के अन्दर अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत करेगा कि वह आरोप पत्र में सभी या किन्हीं आरोपों को स्वीकार करता है अथवा नहीं। आरोपी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि यदि वह अपनी प्रतिरक्षा में लिखित या मौखिक साक्ष्य देना या प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे भी उल्लिखित करे।

(4)— आरोपी द्वारा आरोपों को अस्वीकार करने के पश्चात् आरोपी द्वारा धारित पद से दो स्तर ऊपर के अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया जायेगा और जांच अधिकारी को आरोप पत्र की प्रति, अभिलेखीय साक्ष्यों की प्रति प्रेषित किये जायेंगे। आरोप पत्र जांच अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत नहीं किये जायेंगे। क्योंकि जांच अधिकारी तब नियुक्त किया जायेगा जबकि आरोपी नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत या शासन के प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत आरोप पत्र में उल्लिखित सभी या किन्हीं आरोपों को अस्वीकार करता है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव